भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 363
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एनएमएनएफ हेतु छोटे किसानों का नामांकन

363. श्री जगदम्बिका पालः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्राम पंचायत या ब्लॉक में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) के तहत प्राकृतिक खेती की ओर उन्मुख होने में रूचि रखने वाले छोटे किसानों द्वारा अपनी भूमि को नामांकित करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस हेतु विकास कार्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में आवेदन करने के लिए कोई विशिष्ट फॉर्म, दस्तावेज या पूर्वापेक्षाएं आवश्यक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नामांकन वर्षभर के लिए अथवा मौसम-विशिष्ट के लिए खुले होते हैं और यदि कोई किसान क्लस्टर संबंधी समय-सीमा से चूक जाता है तो क्या वह व्यक्तिगत रूप से या अगले चक्र में नामांकन कर सकते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों की सहायता के लिए कोई नामित अधिकारी या कृषि सखी उपलब्ध हैं और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए कोई स्रोत-व्यक्ति सुलभ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या किसान को इस हेतु तुरन्त प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा क्लस्टर गठन की प्रतीक्षा करनी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नामांकन होने पर वित्तीय या तकनीकी सहायता की गारंटी होती है या वह कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने से जुड़ी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) मंत्रालय यह किस प्रकार सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियात्मक या संभरण संबंधी बाधाओं के कारण छोटे भूमिधारक एनएमएनएफ के दायरे से बाहर न हों?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत, क्लस्टरों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर को एक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थान से जोड़ा जाएगा। चयनित क्लस्टरों में, दो नामित कृषि सखी/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) किसानों को संगठित करेंगे और उनका नामांकन करेंगे।

(ग): प्रत्येक फसल सीजन की शुरुआत में नए किसान प्राकृतिक खेती क्लस्टर में शामिल हो सकते हैं।

(घ): प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक चयनित क्लस्टर में दो कृषि सखी/सीआरपी नामित करेगा।

(ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्लस्टरों की पहचान के बाद किसानों को प्रशिक्षण देना शुरू किया जाएगा।

(च): प्रशिक्षित किसानों के लिए, प्री मानसून ड्राई सोइंग (पीएमडीएस), बीजामृत, जीवामृत आदि का उपयोग, विविध फसल प्रणाली आदि जैसे एनएफ पैकेज के पद्धति के लिए योजना में आउटपुट आधारित प्रोत्साहन एनएफ के बारे में जागरूकता, पशुधन का रखरखाव, एनएफ इनपुट तैयार करना या बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) से एनएफ इनपुट की खरीद और ड्रम, मिक्सिंग और स्टोरेज कंटेनर आदि की खरीद की परिकल्पना की गई है; प्रत्येक किसान छोटी जोत वाले एनएफ की शुरूआत कर सकता है और अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र तक एनएमएनएफ के तहत सहायता के लिए पात्र हो सकता है।

(छ): एनएमएनएफ के तहत छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसान लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा, केंद्र/राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय निगरानी समितियों में मिशन इकाई को सभी क्लस्टरों में खेत-स्तरीय संकेतकों, किसान प्रगति और एनएफ के विस्तार की नियमित निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।

*****